

फर्द अहकाम

रामकिशन वगै० बनाम राज० सरकार

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक

प्रकरण संख्या:- 23/18

क्र० सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि०वि०
1	10.02.18	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नंबर 571, 549/2, 551, 552/1, 552/2, 549, 535/10, 535/8 कुल किता 8 वाके ग्राम मुण्डलीरणजीतपुरा में प्रार्थीगण के पिता का नाम हनुमान प्रसाद उर्फ नानूराम की जगह केवल हनुमान प्रसाद ही जमाबंदी में अंकित है जबकि एक अन्य प्रकरण संख्या 229 ए/2017 में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त कर दिया गया लेकिन सहवन से इन खसरा नंबरों में शुद्धि होने से रह गया जिसे दुरुस्त कराना आवश्यक है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रकरण धारा 136 का होना पुष्ट होता है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो दस्तावेजी साक्ष्यों, शपथ पत्र एवं पूर्व प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अभिशंषा के आधार पर ग्राम मुण्डलीरणजीतपुरा में उक्त खसरा नंबरों में नाम दुरुस्ती करना पुष्ट होने के आधार पर खसरा नंबर 571, 549/2, 551, 552/1, 552/2, 549, 535/10, 535/8 कुल किता 8 में पिता का नाम हनुमान प्रसाद के स्थान पर हनुमान प्रसाद उर्फ नानूराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है पत्रावील फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो उक्तानुसार आदेश जारी हो। आदेश लोक अदालत न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक